

कार्यालय नगरपरिषद् चूरु (राजस्थान)

क्रमांक : एफ.6(4)(1)विकास / 2015-16 / 6691-96

दिनांक : 27.03.2016

आपतकालीन ई-निविदा सूचना 39 वर्ष 2015-16

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से नगरपरिषद् चूरु द्वारा ओम कॉलोनी में गन्दे पानी की निकासी हेतु मोटर पम्प व पाईप लाईन डालने का कार्य वार्ड नं. 15, चूरु (अति-आवश्यक कार्य) हेतु सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में पंजीकृत संवेदको से ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। BOQ प्रपत्र निविदा शुल्क एवम् धरोहर राशि नकद / बैंकर्स चैक / ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाकर उक्त कार्य के सामने अंकित तिथि को दोपहर 2.00 बजे तक डाउनलोड कर उसी दिन सायं 4.00 बजे तक <http://eproc.rajasthan> पर अपलोड किये जा सकते हैं। अतः इच्छुक निविदादाताई-निविदा मे भाग ले सकते है । उक्त निविदा वेबसाइट www.sppp.raj.nic.in, <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमाति लागत	धरोहर राशि		निविदा प्रपत्र शुल्क	आर.आई.एस. एल प्रोसेसिंग फीस	निविदा विक्रय तिथि	निविदा प्राप्ति तिथि	कार्य की अवधि
			2%	0.50%					
01	ओम कॉलोनी में गन्दे पानी की निकासी हेतु मोटर पम्प, डिग्गी फाउण्डेशन व पाईप लाईन डालने का कार्य वार्ड नं. 15/23 चूरु (अति-आवश्यक कार्य)	22,86,600/-	45735	11435	1000	500/-	06.04.16 तक	07.04.16	एक माह

1. ठेकेदार / संवेदक को श्रम अधिनियम व संनिर्माण कर्मकार अधिनियम व उपकर अधिनियम 1996 व इससे संबंधित सभी नियमों की पालना करनी होगी।
2. नगरपरिषद् चूरु में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मस को धरोहर राशि 0.5 प्रतिशत की दर से एवम् अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मस को 2 प्रतिशत की दर से धरोहर राशि जमा करानी आवश्यक होगी।
3. आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।
4. निविदा दाता निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि व आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस की डीडी/बैंकर चैक निर्धारित तिथि तक भौतिक रूप से इस कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा।
5. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे। उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।
6. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदा दाता यह सुनिश्चित कर लें कि निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गई है।
7. निविदा दाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क धरोहर राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं बिक्री कर चुकला प्रमाण पत्र की प्रतियां वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना आवश्यक है। उक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां आवश्यक रूप से निविदा शुल्क व धरोहर राशि व आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के साथ जमा कराना होगा।
8. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने से पूर्व बिक्री कर अदेयता प्रमाण पत्र एवम् रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। निविदा प्राप्ति तिथि को अवकाश होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस माना जावेगा।
9. निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगरपरिषद् चूरु में निहित होगा।
10. उक्त कार्य में गारंटी पीरियड 02 वर्ष होगा।
11. सम्बन्धित कार्य की निविदा उपरान्त न्यूनतम निविदा दाता को कार्यदेश जारी करने से पूर्व बीएसआर से कम दर प्राप्त होने पर अन्तर की राशि परिषद कोष में जमा करवाना आवश्यक होगा।
12. अन्य आवश्यक शर्तें कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं।

अधिशार्धा अभियन्ता
नगरपरिषद् चूरु

आयुक्त
नगरपरिषद् चूरु

समापति
नगरपरिषद् चूरु

क्रमांक : एफ.6(4)(1)विकास / 2015-16 / 6691-96

दिनांक : 27.03.2016

प्रतिलिपि :

01. नोटिस बोर्ड नगर निगम जयपुर / नोटिस बोर्ड न.प. चूरु / एस.डी.एम. कार्यालय चूरु / तहसील कार्यालय चूरु / नोटिस बोर्ड सूचना केन्द्र चूरु पर चस्पाथ।
02. श्री राकेश कुमार इन्दलिया क.अभि. को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यों के "जी" शिडयूल पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
04. कम्प्यूटर शाखा नगरपरिषद्, चूरु को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
नगरपरिषद् चूरु